कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

Phone No. (07574-254178, 254808) **E-Mail -dfot.hbd@mp.gov.in**

क्रमांक/मा.चि./ 2419 नर्मदापुरम, दिनांक 24/02/2022

प्रति,

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),
सेंट्रल रेल्वे सी0आर0,
नागपुर डिविजन,
बैतूल, अजनी, नागपुर

विषय :– Proposal for diversion of 9.9857 hectare Foresr area for proposed 3rd railway line between jujharpur (KM 750+000) and Dodharamohor(KM 792+650) section.

संदर्भ :– परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14.02.2022 को ऑनलाईन प्रपोजल क्र FP/MP/RAIL/150074/2021 .

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र/एफ–5–14–2005/10–3 दिनांक 30.07.2012 के अनुसार पंजीयन शुल्क की राशि रू 5000/– एवं प्रोसंसिंग शुल्क की राशि रू 30000/– कुल 35000/– (पैतीस हजार मात्र) को **www.mptreasury.org** पर जाकर **Cyber treasury** पर क्लिक करें। ऐसा करने पर 15 विभागों के नाम प्रदर्शित होंगे। वन विभाग का नाम इनमें सम्मिलित नहीं है। वन विभाग के लिये सबसे अंतिम में अंकित **Other Department** पर क्लिक करे तथा 0406–01–800–0229 **miscellaneous receipts** (विविध व्यय) का चयन करते हुए राशि जमा करे।

प्रस्ताव में भाग 2 की पूर्ति इस कार्यालय द्वारा की जाना है। इस हेतु आप उपरोक्तानुसार राशि जमा करने के पश्चात् वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण जांच प्रतिवेदन उप वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। संयुक्त निरीक्षण जांच प्रतिवेदन अंतर्गत उक्त परियोजना अंतर्गत प्रभावित होने वाले वनक्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, कक्ष, रकबा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।

(अशोक कुमार सोलंकी)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 2420 नर्मदापुरम , दिनांक 24/02/2022

प्रतिलिपि :– 1. उप वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर लेख कि आप रेल्वे विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही कर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

2. परिक्षेत्र अधिकारी इटारसी एवं सुखतवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि आप उप वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम के निर्देशन में संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम